BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 121/2025

IN THE MATTER OF:
RAKESH BANSAL

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4, DISTRICT MAGISTRATE, BULANDSAHAR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 27.03.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBNAL, PRINICPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	A COPY OF THE NOTICE DATED 19.02.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-1**	
3.	A COPY OF THE INSPECTION REPORT DATED 25.02.2025 AND RECOMMENDATION LETTER IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-2**	
4.	A COPY OF SHOW CAUSE NOTICE DATED 13.05.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-3**	

5.	A COPY OF THE RECOMMENDATION/ INSPECTION REPORT DATED 29.05.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-4**	
6.	A COPY OF THE CLOSURE ORDER DATED 06.06.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-5**	
7.	A COPY OF LETTER DATED 13.06.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-6**	
8.	A COPY OF THE CLOSURE REPORT DATED 19.06.2025 ALONG WITH PHOTOGRAPHS IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-7**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR RESPONDENT NO. 4
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE: 29.07.2025
PLACE: NOIDA

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030
GOVT. OF INDIA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 121/2025

IN THE MATTER OF:
RAKESH BANSAL

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENT(s)

AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4, DISTRICT MAGISTRATE, BULANDSAHAR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 27.03.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBNAL,PRINICPAL BENCH, NEW DELHI

I, Shruti aged about 40 years, W/o Shri S.K. Pandey posted as District Magistrate, Bulandshahr, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, Shruti, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.

2. That in the present Original Application, the Applicant has raised a grievance against the illegal operation of the brick kiln-M/s. R. S. Brick

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030
GOVT. OF INDIA

Field located at Gata Nos. 516, 517, 518 and 520 in Village Dulhera, Tehsil and Pargana Sikandrabad, District Bulandshahr, Uttar Pradesh.

5. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 27.03.2025 directed the Deponent to file their reply. The operative paragraph of the aforementioned order is stated below:

> *"...7. Respondents are directed to file their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. The Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing..."*

4. That in pursuance to the order dated 19.04.2024 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in ***Civil Appeal Diary No.-18213/2021, NCR Brick Kiln Association versus CPCB and Ors.,*** an inspection dated 19.02.2025 was carried out of the brick kiln in question, i.e. M/s R. S. Brick Field located at Gata Nos. 516, 517, 518 and 520 in Village Dulhera, Tehsil and Pargana Sikandrabad, District Bulandshahr, Uttar Pradesh. During the

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030
GOVT. OF INDIA

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030
GOVT. OF INDIA

inspection the brick kiln in question was found operating without obtaining consent under the Water (Prevention and Control of Pollution), Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution), Act, 1981. Therefore, the UPPCB issued a notice dated 19.02.2025 against the brick kiln in question with direction to close down the operation with an immediate effect.

A copy of the notice dated 19.02.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

5. That pursuant to no reply to the notice dated 19.02.2025 issued against the brick kiln in question, the UPPCB carried out another inspection dated 25.02.2025, thereafter, the inspection report along with the letter dated 25.02.2025 was sent to the Chief Environmental Officer, UPPCB, Lucknow by the RO, UPPCB recommending the closure order and imposition of EC upon the brick kiln in question for its illegal operations, as the brick kiln was again found operational without proper consent to operate. Therefore, a show cause notice dated 13.05.2025 was issued by the UPPCB, duly served to the project proponent on 14.05.2025.

A copy of the inspection report dated 25.02.2025 and recommendation letter is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2.**

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030
GOVT. OF INDIA

Ashok Kumar Advocate Area-Bulandshahr Regd. No. 1688 Ex. Date 24-5-2030

A copy of show cause notice dated 13.05.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3.**

6. That yet again, no reply was submitted by the project proponent to the show cause dated 13.05.2025 issued by the UPPCB. Hence, another inspection dated 29.05.2025 was undertaken by the UPPCB to ascertain the current operational status of the brick kiln in question. **During the inspection, the brick kiln was found operational, in violation of show cause notice dated 13.05.2025, therefore, the State Board Headquarters, Lucknow has issued a closure order dated 06.06.2025.**

   A copy of the recommendation/inspection report dated 29.05.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4.**

7. Furthermore, keeping in view the above mentioned facts, in accordance with the report/recommendation dated 29.05.2025 sent by the Regional Officer, Bulandshahr, environmental compensation of Rs. 6,25,000/- (Rupees Six Lakh Twenty Five Thousand only) is imposed for a total of 100 violation days from 19.02.2025 to 29.05.2025 against the brick kiln in question, M/s ARS Brick Industry (Formerly known as M/s Chaudhary Brick Field), Village-Dulhera, Tehsil-Secunderabad, District-Bulandshahr, ***at the rate of***

NOTARY Ashok Kumar Advocate Area-Bulandshahr Regd. No. 1688 Ex. Date 24-5-2030 GOVT. OF INDIA

EC-50x1x250x.5x1.0=6,250/- per day as per the formula mentioned in the guideline issued for environmental compensation by the Central Pollution Control Board, Delhi and using the powers conferred under Section-31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

A copy of the closure order dated 06.06.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-5.**

8. That the report of the inspections carried out by the UPPCB and the closure order issued has been submitted to the District Magistrate, Bulandshahar by the UPPCB. **In pursuance of the closure order dated 06.06.2025, the DM, Bulandshahar has constituted a committee vide letter dated 13.06.2025 to ensure the execution of the closure order**. The execution committee was formed comprising of:

   - Sub-Divisional Magistrate, Sikandrabad, District Bulandshahr
   - Circle Officer (Police), Sikandrabad, District Bulandshahr
   - Additional Chief Officer, Jila Panchayat, Bulandshahr
   - Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Bulandshahr

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030
GOVT. OF INDIA

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030
GOVT. OF INDIA

- District Mining Officer, Bulandshahr
- Station House Officer, Police Station Sikandrabad, Bulandshahr

A copy of letter dated 13.06.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-6.**

9. That the constituted committee executed the closure order dated 06.06.2025 issued by the UPPCB against the brick kiln in question on 19.06.2025. The joint committee, for the closure, poured water through fire brigade and locked the induced draft fan and sealed the same. The key of the lock has been handed over by the joint committee to Police Station In-charge, Sikandarabad to ensure sealing/closure of the brick kiln in question.

A copy of the closure report dated 19.06.2025 along with photographs is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-7.**

10. That it is submitted before the Hon'ble Tribunal, the illegal operation of the brick kiln in question has been closed down by the appointed officials vide letter dated 13.06.2025 by the DM, Bulandshahar. The brick kiln has been sealed.

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030
GOVT. OF INDIA

Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030
GOVT. OF INDIA

11. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

12. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Bulandshahr on this 28 day of 07 – , 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 12 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
Ashok Kumar
Advocate
Area-Bulandshahr
Regd. No. 1688
Ex. Date 24-5-2030
GOVT. OF INDIA

प्रमाणित करता हूँ कि श्री
ने जिसकी पहचान श्री
आज दिनांक 28.7.2025 को बजे
प्रातः साथ मेरे सम्मुख इस शपथ पत्र के
उक्त लेख को सुनकर समझकर सत्य होना
स्वीकार किया। शुल्क

अशोक कुमार 28/07/2025
एडवोकेट / नोटेरी (पब्लिक)
बुलन्दशहर (उ०प्र०)

...त्रीय कार्यालय
फैक्स : 05732–233879
ई–मेल : robulandshahar@uppcb.in
उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
Uttar Pradesh Pollution Control Board
F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर–203001

ANNEXURE-1

संदर्भ : 1479/ओजी-19/25 दिनांक : 19/02/25

सेवा में,
श्री मनोज प्रसाद शर्मा
मै0 स्मार्ट एस.एस. ब्रिकफील्ड
उदयपुर सिकन्दराबाद
बुलन्दशहर

विषयः मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील डायरी सं0–18213 / 2021 एन0सी0आर0 ब्रिक क्लिन एसोसिएशन बनाम सेन्ट्रल पॉल्यूशन कन्ट्रोल एवं अन्य में दिनांक 19.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आच्छादित ईट भट्ठों के संचालन की अवधि निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार ईट भट्ठों का संचालन 01 मार्च से 30 जून तक मान्य किया गया है। आज दिनांक 19.2.25 को निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आप द्वारा ईट भट्ठे का संचालन राज्य बोर्ड से बिना जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये प्रारम्भ कर दिया गया है, जो कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उंल्लघन है। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि तत्काल ईट भट्ठे का संचालन बन्द करते हुये अपना स्पष्टीकरण इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, अन्यथा की दशा में ईट भट्ठे के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अवहेलना के दृष्टिगत सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ईट भट्ठे के स्वयं का होगा।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को जिलाधिकारी महोदया द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ईट भट्ठा संचालन के सम्बन्ध में जारी आदेश के अनुपालन में जारी पत्रांक–1475 / ओजी–19 / 2025 दिनांक 19.02.2025 के अनुक्रम में डिफाल्टर ईट भट्ठे के विरूद्ध अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।
2. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन विभाग, बुलन्दशहर।
3. क्षेत्राधिकारी पुलिस, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बुलन्दशहर।
5. ज्वाइन्ट कमिशनर, वाणिज्यिक कर विभाग, बुलन्दशहर।
6. जिला खान अधिकारी, बुलन्दशहर।

क्षेत्रीय अधिकारी

Rajendra Prasad Sharma
Dt. 19/2/2025

क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष : 05732–233879
फैक्स : 05732–233879
ई–मेल : robulandshahar@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
Uttar Pradesh Pollution Control Board
F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर–203001

ANNEXURE-2

संदर्भ : 1512/BR-20/25 दिनांक : 25/02/25

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषयः– मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हैरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के विरूद्व बन्दी आदेश एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ईट भट्टे का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.02.2025 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार प्रश्नगत् स्थल पर पूर्व में मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम–दुल्हैरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर को राज्य बोर्ड द्वारा पत्रांक:74073/यू0पी0पी0सी0बी0 /बुलन्दशहर (यू0पी0पी0सी0बी0आर0ओ0)/सी0टी0ओ0/वाटर/बुलंदशहर /2019 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति जल एवं पत्रांक:74072 /यू0पी0पी0सी0बी0/बुलन्दशहर (यू0पी0पी0सी0बी0आर0ओ0)/सी0टी0ओ0 /वायु/बुलन्दशहर/2019 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति वायु दिनांक 31.07.2024 तक निर्गत की गयी थी। वर्तमान में ईट भट्टा संचालक द्वारा ईट भट्टे का नाम परिवर्तित कर बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ईट भट्टे का संचालन कर लिया गया है, जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–309/2022 रामभरोसे बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश 12.02.2024 का भी स्पष्ट उल्लघंन है तथा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 यथासंशोधित में प्रख्यापित प्राविधानों का भी स्पष्ट उल्लघंन है।

संदर्भित ईट भट्टे को पूर्व में भी निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आच्छादित ईट भट्टो के निर्धारित संचालन अवधि से पूर्व ईट भट्टा संचालित पाये जाने पर इस कार्यालय के पत्र संख्या–1479/ओ0जी0–19/25 दिनांक 19.02.2025 के माध्यम से फुकाई कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु निरीक्षण दिनांक 25.02.2025 को ईट भट्टे में फुकाई का कार्य संचालित पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टे के विरूद्व राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना उद्योग का संचालन किये जाने एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक:1475/ओ0जी0–19/25 दिनांक 19.02.2025 द्वारा एन0सी0आर0 क्षेत्रान्तर्गत नियत अवधि से पूर्व ईट भट्टे संचालित न किये हेतु जारी आदेशों का उल्लघंन किये जाने के दृष्टिगत उद्योग के विरूद्व वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने एवं पूर्व निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 से सुधारात्मक कार्यवाही तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाईन में वर्णित सूत्र EC=50x1x500x.5x1.0=12500/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

मै0 आर0एस0ए0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम—दुल्हैरा, तहसील—सिकन्दराबाद, जनपद—बुलन्दशहर द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील डायरी नं0—18213/2021 एन0सी0आर0 ब्रिक क्लिन एसोसिएशन बनाम सेन्ट्रल पॉल्यूशन कन्ट्रोल एवं अन्य के अनुपालन में किये गये औचक निरीक्षण के सम्बन्ध में आख्या।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक:1475/ओ0जी0—19/25 दिनांक 19.02.2025 द्वारा एन0सी0आर0 क्षेत्रान्तर्गत नियम अवधि से पूर्व ईट भट्टे संचालित न किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के निर्देशानुसार डिस्ट्रिक वेबसाइट पर सूचना व दैनिक समाचार पत्रों में सूचना दिनांक 20.02.2025 प्रकाशित करायी गयी थी। उक्त पारित आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टा स्थल (28.369106, 77.702346) का निरीक्षण दिनांक 25.02.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः—

1. संदर्भित ईट भट्टे से प्राप्त अभिलेखानुसार ईट भट्ठे में मुख्य कच्चे माल के रूप में मिट्टी व पानी का प्रयोग कर ईट की पथाई के उपरान्त भट्ठे में फुकाई कर लगभग—20000 ईट प्रतिदिन उत्पादन किया जाता है।
2. संदर्भित ईट भट्टे में ईधन के जलने से उत्सर्जित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु जिग—जैग पद्वति (हाईड्राफ्ट तकनीकी) एवं भूतल से लगभग—30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है।
3. संदर्भित ईट भट्टे में जल का प्रयोग घरेलू एवं मिट्टी की पथाई में प्रयोग किया जाता है।
4. संदर्भित ईट भट्टे पर श्रोत के अनुश्रवण हेतु प्लेटफार्म, सीढ़ी, पोर्ट होल स्थापित पाये गये।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार प्रश्नगत् स्थल पर पूर्व में मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम—दुल्हैरा, तहसील—सिकन्दराबाद, जनपद—बुलन्दशहर को राज्य बोर्ड द्वारा पत्रांक:74073/यू0पी0पी0सी0बी0/बुलन्दशहर(यू0पी0पी0सी0बी0आर0ओ0)/सी0टी0ओ0/वाटर/बुलन्दशहर/2019 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति जल एवं पत्रांक:74072/यू0पी0पी0सी0बी0/बुलन्दशहर(यू0पी0पी0सी0बी0आर0ओ0)/सी0टी0ओ0/वायु/बुलन्दशहर/2019 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति वायु दिनांक 31.07.2024 तक निर्गत की गयी थी। वर्तमान में ईट भट्टा संचालक द्वारा ईट भट्टे का नाम परिवर्तित कर बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ईट भट्टे का संचालन कर लिया गया है, जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या—309/2022 रामभरोसे बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश 12.02.2024 का भी स्पष्ट उल्लघंन है तथा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 यथासंशोधित में प्रख्यापित प्राविधानों का भी स्पष्ट उल्लघंन है।
6. अग्रेतर निरीक्षण के समय प्रश्नगत् स्थल पर राजेन्द्र प्रसाद शर्मा द्वारा संचालित मै0 आर0एस0एस0 ब्रिक फील्ड में फुकाई का कार्य संचालित पाया गया।
7. संदर्भित ईट भट्टे को पूर्व में भी निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आच्छादित ईट भट्टो के निर्धारित संचालन अवधि से पूर्व ईट भट्टा संचालित पाये जाने पर इस कार्यालय के पत्र संख्या—1479/ओ0जी0—19/25 दिनांक 19.02.2025 के माध्यम से फुकाई कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु निरीक्षण दिनांक 25.02.2025 को ईट भट्टे में फुकाई का कार्य संचालित पाया गया।
8. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है।

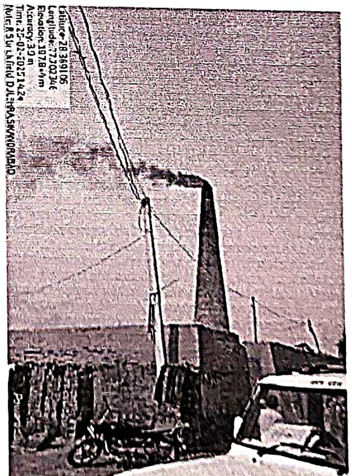

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टे के विरूद्व राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना उद्योग का संचालन किये जाने एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक:1475/ओ0जी0—19/25 दिनांक 19.02.2025 द्वारा एन0सी0आर0 क्षेत्रान्तर्गत नियत अवधि से पूर्व ईट भट्टे संचालित न किये हेतु जारी आदेशों का उल्लघंन किये जाने के दृष्टिगत उद्योग के विरूद्ध वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने एवं पूर्व निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 से सुधारात्मक कार्यवाही तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाईन में वर्णित सूत्र EC=50x1x500x.5x1.0=12500/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(रवि रंजन)
अवर अभियन्ता

(एस0पी0 सिंह)
अवर अभियन्ता

वैज्ञा0अधि0/क्षेत्रीय अधिकारी,

ANNEXURE-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण ब्रोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक: 4/28142 / सी–4 / ईंट–1446 / का0ब0नो0 / 2025, दिनांक 13-5-25

मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड),
ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद,
जनपद–बुलन्दशहर।

मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर ईट के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक–1475 /ओ०जी०–19/25, दिनांक 19.02.2025 द्वारा एन०सी०आर० क्षेत्रान्तर्गत नियम अवधि से पूर्व जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के निर्देशानुसार डिस्ट्रिक वेबसाइट पर सूचना व दैनिक समाचार पत्रों में सूचना दिनांक 20.02.2025 प्रकाशित करायी गयी थी। उक्त पारित आदेश के अनुपालन में मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, बुलन्दशहर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.02.2025 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा की उपस्थिति में किया गया। आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। प्रश्नगत् स्थल पर पूर्व में मै० चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, राज्य बोर्ड द्वारा द्वारा पत्रांकः 74073, दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति जल एवं पत्रांकः 74072 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति वायु दिनांक 31.07.2024 तक निर्गत की गयी थी। वर्तमान में ईट भट्ठा संचालक द्वारा ईट भट्टे का नाम परिवर्तित कर बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ईट भट्टे का संचालन कर लिया गया है, जो कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या–309/2022 रामभरोसे बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश 12.02.2024 का भी स्पष्ट उल्लघंन है तथा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 यथासंशोधित में प्रख्यापित प्राविधानों का भी स्पष्ट उल्लघंन है। संदर्भित ईट भट्टे को पूर्व में भी निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आच्छादित ईट भट्टो के निर्धारित संचालन अवधि से पूर्व ईट भट्ठा संचालित पाये जाने पर क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या–1479 दिनांक 19.02.2025 के माध्यम से फुकाई कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु निरीक्षण दिनांक 25.02.2025 को ईट भट्टे में फुकाई का कार्य संचालित पाया गया।

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर के द्वारा पत्रांक–1512/बीआर–20/25, दिनांक 25.02.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के विरूद्ध राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना उद्योग का संचालन किये जाने एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांकः 1475/ओ०जी०–19/25 दिनांक 19.02.2025 द्वारा एन०सी०आर० क्षेत्रान्तर्गत नियत अवधि से पूर्व ईट भट्टे संचालित न किये हेतु जारी 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने एवं पूर्व निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 से सुधारात्मक कार्यवाही तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाईन में वर्णित सूत्र EC=PIxNxRxSxLF के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, बुलन्दशहर से प्राप्त आख्या/संस्तुति दिनांक 25.02.2025 के अनुक्रम में मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैं :–

1. यह कि क्यों न मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द करा दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त यह कि क्यों न ईट भट्ठा मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र EC=PIxNxRxSxLF के अनुसार रू0 6,250/– की प्रतिदिन की दर से निरीक्षण दिनांक 25.02.2025 से समस्या का समाधान किये जाने तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायें।

उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्ठे को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर निर्धारित समयावधि में ईट भट्ठे की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

दीपक कुमार शर्मा (मुनीम)
14-5-2025
प्राप्त किया
7409227318

ANNEXURE-4

दूरभाष : 05732–233879
क्षेत्रीय कार्यालय
फैक्स : 05732–233879
ई–मेल : *robulandshahar@uppcb.in*
उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
Uttar Pradesh Pollution Control Board
F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर–203001

संदर्भ : 156/BR-20/25

दिनांक : 29/05/25

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–**मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हैरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–121/2025 Rakesh Bansal Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 27.03.2025 एवं ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ सं0–एच28142/सी–4/ईट–1446/का0ब0नो0/2025 दिनांक 13.05.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में ईट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 29.05.2025 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या मूलरूप में पत्र के साथ संलग्न है।

अतः निरीक्षण आख्या के आधार पर ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.05.2025 में उल्लेखित निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 से ईट भट्ठे के अद्यतन निरीक्षण दिनांक 29.05.2025 तक कुल उंल्लघनकारी दिन 100 के सापेक्ष रू0 6250/– प्रतिदिन के अनुसार रू0 6,25,000/– मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने व ईट भट्ठे को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.05.2025 की पुष्टि की जाती है। अद्यतन आख्या आपके अवनोकनार्थ संस्तुति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

O/C

मै0 आर0एस0 , ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हैरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–121/2025 Rakesh Bansal Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 27.03.2025 एवं ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ सं0–एच28142/सी–4/ईट–1446/का0ब0नो0/2025 दिनांक 13.05.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में ईट भट्ठे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 29.05.2025 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. ईट भट्ठा मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड) के नाम से ग्राम–दुल्हैरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर से स्थापित है।
2. ईट भट्ठे में मुख्य कच्चे माल के रूप में मिट्टी व पानी का प्रयोग कर ईट की पथाई के उपरान्त भट्ठे में फुकाई कर लगभग–20,000 ईट प्रतिदिन की दर से उत्पादन कार्य किया जाता है।
3. निरीक्षण के समय प्रश्नगत् स्थल पर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा द्वारा संचालित मै0 आर0एस0 ब्रिक फील्ड में फुकाई का कार्य संचालित पाया गया।
4. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स निम्नवत् है:–

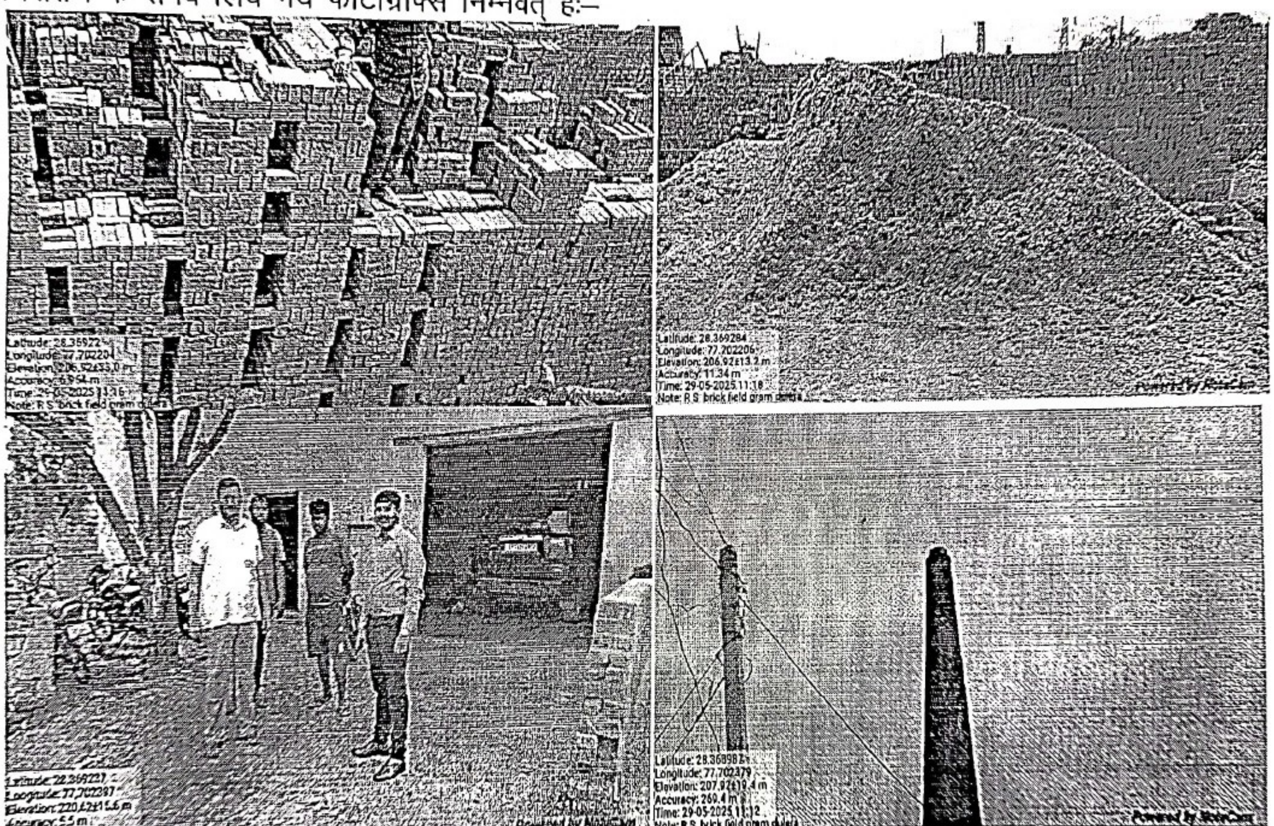

ईट भट्टे में ईंधन के जलने से उत्सर्जित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु जिग–जैग पद्वति (हाईड्राफ्ट तकनीकी) एवं
5. ईट भट्टे में ईंधन के जलने से ... भूतल से लगभग–30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है। ईट भट्ठे में ईंधन के रूप में तूरी का प्रयोग किया जाता
पाया गया।
ईट भट्टे में जल का प्रयोग घरेलू एवं मिट्टी की पथाई में प्रयोग किया जाता है।
6. ईट भट्टे पर श्रोत के अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल के अतिरिक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या
7. ईट भट्टे पर श्रोत के अनुश्रवण हेतु ... ब्रिक किलन एसोसियेशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में दिनांक
18213/2021 एनसीआर ब्रिक किलन एसोसियेशन बनाम ... आदेशों के अनुपालन में ईट भट्ठे की चिमनी पर श्रोत के अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल
13.05.2022 को पारित किये गये आदेशों के अनुपालन में ... एवं सीढ़ी स्थापित नहीं पायी गयी।
पाया गया तथा प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित नहीं पायी गयी। ... जल/वायु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्ठे का संचालन किये जाने एवं
8. ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ जल/वायु सहमति प्राप्त किये बिना ... आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के
मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में ... दिनांक 10.02.2025 द्वारा एन0सी0आर0 क्षेत्रान्तर्गत नियत अवधि से पूर्व ईट भट्टे
पत्रांक:1475/ओ0जी0–19/25 दिनांक 10.02.2025 द्वारा ... आदेशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ
संचालित न किये हेतु जारी आदेशों का उल्लंघन किये जाने ... दिनांक 13.05.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा
सं0–एच28142/सी–4/ईट–1446/का0ब0नो0/2025 दिनांक 13.05.2025 द्वारा ... कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो
नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत ईट भट्ठे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो ... प्रतिनिधि श्री दीपक कुमार शर्मा (मुनीम) को
कि वर्तमान में प्रभावी है। उक्त कारण बताओ नोटिस को ईट भट्ठे प्रतिनिधि ... नोटिस के परिप्रेक्ष्य में अनुपालन
दिनांक 14.05.2025 को प्राप्त कराया गया था, परन्तु ईट भट्ठे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में अनुपालन ... जिसकी प्राप्ति की प्रति संलग्न है।
आख्या/प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है, जिसकी प्राप्ति की प्रति संलग्न है।

9\. कार्यालय अभिलेखानुसार प्रश्नगत् स्थल पर पूर्व में मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम–दुल्हैरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के नाम से राज्य बोर्ड द्वारा पत्रांकः 74073/यू0पी0पी0सी0बी0/बुलन्दशहर(यू.पी.पी.सी.बी.आर.ओ.)/सी.टी.ओ./वाटर/बुलन्दशहर/2019 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति जल एवं पत्रांकः 74072/यू0पी0पी0सी0बी0/बुलन्दशहर(यू.पी.पी.सी.बी.आर.ओ.)/सी.टी.ओ./वायु/बुलन्दशहर/2019 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति वायु दिनांक 31.07.2024 तक निर्गत की गयी थी। वर्तमान में ईट भट्टा संचालक द्वारा ईट भट्टे का नाम परिवर्तित कर बिना राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये ईट भट्टे का संचालन कर लिया गया है, जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–309/2022 रामभरोसे बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश 12.02.2024 का भी स्पष्ट उल्लघंन है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में प्रख्यापित प्राविधानों का भी स्पष्ट उल्लघंन है।

ईट भट्ठे को जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित कि क्यों न ईट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र EC=PIxNxRxSxLF के अनुसार रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से निरीक्षण दिनांक 25.02.2025 से समस्या का समाधान किये जाने तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये, के कम में ईट भट्ठे के विरूद्ध ईट भट्ठे के प्रथम निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 से ईट भट्ठे के अद्यतन दिनांक 29.05.2025 तक राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का उंल्लघन करते हुये ईट भट्ठे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत कुल 100 उंल्लघन दिवस हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत् ईट भट्ठे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में प्रतिउत्तर प्रस्तुत न किये जाने एवं ईट भट्ठे का संचालन राज्य बोर्ड से बिना जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के सं0–एच28142/सी–4/ईट–1446/का0ब0नो0/2025 दिनांक 13.05.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की जाती है तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र EC=PIxNxRxSxLF के अनुसार EC=50x100x250x0.5x1.0=6,25,000/- मात्र/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(रवि रंजन)
अवर अभियन्ता

29/05/2025
(सतेन्द्र प्रताप सिंह)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

ANNEXURE-5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक : H28980/सी–4/सा–।।–1446/बन्दी आदेश–पर्या0 क्ष0/2025,

पंजीकृत
दिनांक : 06-6-25

मै0 आर0एस0 ईंट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड),
ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद,
जनपद–बुलन्दशहर।

यह कि बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच28142/सी–4/ईंट–1446/का0ब0नो0/2025, दिनांक 13.05.2025 के माध्यम से मै0 आर0एस0 ईंट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अंतर्गत बन्दी आदेश की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर के अधिकारियों द्वारा ईंट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 29.05.2025 को करते हुए आख्या पत्र दिनांक 29.05.2025 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई है। आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे में फुकाई का कार्य संचालित पाया गया। ईट भट्ठे में ईधन के रूप में तूरी का प्रयोग किया जाता पाया गया। ईंट भट्ठे पर श्रोत के अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल के अतिरिक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या–18213/2021 एनसीआर ब्रिक क्लिन एसोसियेशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में दिनांक 13.05.2022 को पारित किये गये आदेशों के अनुपालन में ईट भट्ठे की चिमनी पर श्रोत के अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल पाया गया तथा प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित नहीं पायी गयी। ईंट भट्ठा राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त किये संचालित किया जा रहा है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए का उल्लघंन है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर द्वारा पत्रांक–156/बीआर–20/25, दिनांक 29.05.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मै0 आर0एस0 ईंट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.05.2025 की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 29.05.2025 के अनुकम में प्रश्नगत ईट भट्ठा मै0 आर0एस0 ईंट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र EC=50x1x250x.5x1.0=6,250/- मात्र प्रतिदिन की दर से दिनांक 19.02.2025 से दिनांक 29.05.2025 तक कुल 100 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 6,25,000/– (रूपया छः लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किया जाता हैः–

1. यह कि मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 आर0एस0 ईंट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 6,25,000/– (रूपया छः लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: **https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB** तथा Nature of Pollution-Air pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, बुलन्दशहर एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, खनन, जनपद–बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ईंट भट्ठे की खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाये।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद–बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित कि ईंट भट्ठे को उनके द्वारा ईट पथाई एवं फुकाई हेतु निर्गत लाइसेंस, अनुमति आदि निरस्त करते हुए भट्ठे को अपने स्तर से भी बन्द करवाने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे द्वारा संचालित ईंट पथाई एवं फुंकाई कार्य को तत्काल रूकवाये जाने हेतु जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त बन्दी आदेश का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन के अन्दर मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

ANNEXURE-6

कायालय जिलाधिकारी बुलन्दशहर

पत्रांकः 204/06-268 बन्दी आदेश / 2025 दिनांक 13/06/25

विषय–**मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम दुल्हैरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर को राज्य बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।**

1. उप जिलाधिकारी, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।
2. क्षेत्राधिकारी (पुलिस), सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बुलन्दशहर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर।
5. जिला खान अधिकारी, बुलन्दशहर।
6. थाना प्रभारी, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।

उपरोक्त विषयक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निम्नलिखित ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश के अनुकम में प्रश्नगत् ईट भट्ठे द्वारा संचालित ईट पथाई एवं फुकाई कार्य को तत्काल रूकवाये जाने हेतु निर्देश दिये गये है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क0 सं0	ईट भट्ठे का नाम व पता	तहसील	बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश पत्र का विवरण
1	मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम दुल्हैरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर	सिकन्दराबाद	एच28980 / सी–4 / सा–II–1446 / बन्दी आदेश–पर्या0क्ष0 / 2025 दिनांक 06.06.2025

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के आदेशों के अनुकम में उपरोक्त ईट भट्ठे द्वारा संचालित ईट पथाई एवं फुकाई कार्य को तत्काल रूकवाये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है–

1. उप जिलाधिकारी, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।
2. क्षेत्राधिकारी (पुलिस), सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बुलन्दशहर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर।
5. जिला खान अधिकारी, बुलन्दशहर।
6. थाना प्रभारी, सिकन्दरावाद, जनपद बुलन्दशहर।

उपरोक्त वर्णित ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये अनुपालन आख्या से मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

(श्रुति)
जिलाधिकारी
बुलन्दशहर

ANNEXURE-7

दूरभाष : 05732–233879
क्षेत्रीय कार्यालय
फैक्स : 05732–233879
ई–मेल : *robulandshahar@uppcb.in*

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
Uttar Pradesh Pollution Control Board
F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर–203001

संदर्भ : 226/06-268/25   दिनांक : 19/06/25

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,(वृत्त–4)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः <u>मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम दुल्हैरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर के वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठे की सीलिंग सम्बन्धी आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संदर्भ सं0–28980/सी–4/सा–II–1446/बन्दी आदेश–पर्या0 क्ष0/2025 दिनांक 06.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम दुल्हैरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालनार्थ जिलाधिकारी महोदया, बुलन्दशहर द्वारा आदेश पत्रांक–204/ओजी–268/बन्दी आदेश/2025 दिनांक 13.06.2025 के माध्यम से गठित समिति द्वारा संयुक्त रूप से आज दिनांक 19.06.2025 को प्रश्नगत ईट भट्ठे के संचालन को अग्निशमन विभाग के दमकल वाहन द्वारा पानी डलवाकर बन्द कराया गया एवं इन्ड्यूज्ड ड्राफ्ट फैन को ताला लगाकर सील किया गया तथा ईट भट्ठे की सीलिंग/बन्दी सुनिश्चता बनाये रखने हेतु ताले की चाबी थाना प्रभारी, सिकन्दराबाद को सुपुर्द की गई। साथ ही संयुक्त समिति द्वारा मौके पर बन्दी आदेश की प्रति भी ईट भट्ठा प्रतिनिधि को प्राप्त करायी गयी।

अतः ईट भट्टे की बन्दी सम्बन्धी अनुपालन आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवर्श्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी महोदया, बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम दुल्हैरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठे की सीलिंग सम्बन्धी आख्या।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा ईट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश संदर्भ सं0–28980/सी–4/सा–II–1446/बन्दी आदेश–पर्या0 क्ष0/2025 दिनांक 06.06.2025 के अनुपालनार्थ जिलाधिकारी महोदया के आदेश पत्रांक–204/ओजी–268/बन्दी आदेश/2025 दिनांक 13.06.2025 के अनुपालन में मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम दुल्हैरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर के संचालन को रोके जाने हेतु गठित समिति द्वारा आज दिनांक 19/06/25 को अग्निशमन विभाग के दमकल वाहन द्वारा पानी डलवाकर बन्द कराया गया एवं इन्ड्यूज्ड ड्राफ्ट फैन को ताला लगाकर सील किया गया। ईट भट्ठे की बन्दी सुनिश्चता बनाये रखने हेतु सीलिंग ताले की चाबी थाना, सिकन्दराबाद के उपस्थित अधिकारी को सुपुर्द की गई। ईट भट्ठे पर ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा फोन नं0–9149053994 उपस्थित थे।

19/6/2025

Vipul Kr (S.I)
19/06/25

19/6/2025

19/06/25
PMO

19/06/25
SPM(SKD)

ईंट भट्ठा प्रतिनिधि

19/6/25

Latitude: 28.369401
Longitude: 77.702417
Altitude: 163.0±16.0 m
Accuracy: 10.5 m
Time: 19-06-2025 11:54
Note: R S BRICK FIELD OLD CHAUDHARY DULHERA SIKNDRABAD
Powered by NoteCam

Latitude: 28.369609
Longitude: 77.702566
Elevation: 213.82±31.0 m
Accuracy: 7.642 m
Time: 19-06-2025 11:50
Note: R S BRICK FIELD OLD CHAUDHARY DULHERA SIKNDRABAD
Powered by NoteCam